



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 07.04.2025

1.थाना फेस-1 पुलिस द्वारा मोबाईल फोन लूट/चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार तथा 01 विधि विरुद्ध बालक पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे से लूट/चोरी के 04 मोबाईल फोन, 01 तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक अवैध चाकू व घटना मे प्रयुक्त एक स्कूटी बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- थाना फेस-1 पुलिस द्वारा दिनांक 07.04.2025 को अभियुक्त आजाद आलम पुत्र मुस्तकीम मियाँ को झुण्डपुरा बोर्डर से गिरफ्तार किया गया व 01 विधि विरुद्ध बालक को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। जिनके कब्जे से लूट/चोरी के 04 मोबाईल फोन, 01 तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक अवैध चाकू व घटना मे प्रयुक्त एक स्कूटी रंग ओरेंज रजि0 नं0 डीएल 8 एससी जैड 7807 बरामद किये गये। बरामद मोबाईलो में से रेडमी 13 सी के सम्बन्ध में थाना फेज-1 नोएडा पर पूर्व से मु0अ0स0 131/25 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत है। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व धारा 3/4/9/25 arms act की वृद्धि की गयी है।

अपराध करने का तरीका-- पूछताछ के दौरान अभियुक्त आजाद आलम ने बताया कि वह अपने साथी विधि विरुद्ध बालक के साथ मिलकर स्कूटी पर सवार होकर राह चलते लोगो से मोबाईल छीन लेते है तथा उनके द्वारा विरोध किये जाने पर उनको अपने साथ लिये तमंचा व चाकू से डराकर मोबाईल छीनकर स्कूटी से फरार हो जाते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. आजाद आलम पुत्र मुस्तकीम मियाँ निवासी नाले वाले बारात घर के पास, ग्राम चिल्ला थाना मयूर विहार फेस-1 दिल्ली उम्र 20 वर्ष
2. 01 विधि विरुद्ध बालक पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0स0 131/25 धारा 304(2)/317(2)/317(5) बीएनएस व धारा 3/4/9/25 arms act थाना फेस-1 नोएडा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. तीन मोबाईल फोन लूट/चोरी के बरामद
2. एक मोबाईल रेडमी 13सी सम्बन्धित मु0अ0स0 131/25 धारा 304(2)/317(2)/317(5) बीएनएस व धारा 3/4/9/25 arms act थाना फेस 1 नोएडा गौतमबुद्धनगर
3. 01 तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद
4. एक अवैध चाकू बरामद
5. घटना मे प्रयुक्त एक स्कूटी रंग ओरेंज रजि0 नं0 डीएल 8एस सी जैड 7807 बरामद

2. थाना सेक्टर-63, नोएडा पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **07.04.2025** को **थाना सेक्टर-63** पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये मु0अ0स0 148/25 धारा 137(2) व बढोत्तरी धारा 65(1)बीएनएस, 5 जे(2)/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत नाबालिग को सकुशल बरामद करते हुये एवं नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने वाले अभियुक्त अंकित पुत्र राकेश को एबीसीडी चौराहा सेक्टर-63 से **गिरफ्तार** किया गया है।

अभियुक्त का विवरण--

अंकित पुत्र राकेश कुमार निवासी हारामऊ थाना भौगनीपुर जिला कानपुर देहात वर्तमान पता-किराये का मकान गली नं0 5 ग्राम छिजारसी थाना सेक्टर 63, नोएडा (उम्र 22 वर्ष)

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0स0 148/25 धारा 137(2) व बढोत्तरी धारा 65(1) बीएनएस व 5जे(11)/6 पोक्सो एक्ट थाना सेक्टर-63, नोएडा